राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज
आजमगढ़

दिनांक : 11 जुलाई 2019

विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्देश है कि आर्थिक रूप से गरीब **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग** के विद्यार्थियों के माता-पिता एवं विधिक अभिभावकों की **वार्षिक आय 2,50,000.00 (रू0 दो लाख पचास हजार)** अथवा कम है एवं **अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक एवं सामान्य वर्ग** के विद्यार्थियों के माता-पिता एवं विधिक अभिभावकों की **वार्षिक आय 2,00,000.00 (रू0 दो लाख) अथवा कम है**, का शैक्षिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षिक सत्र 2019-20 में कुशलतापूर्वक आनलाइन करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	**प्रक्रियात्मक कार्यवाही**	**कार्यवाही की समायवधि कक्षा 11-12 को छोड़कर अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु**
01	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। (http://scholarship.up.nic.in)	01 जुलाई, 2019 से 01 अक्टूबर, 2019 तक
02	छात्र द्वारा किये गये आनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में
03	आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्रओं द्वारा वांछित संलग्नाकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, बिलम्बतम 10 अक्टूबर, 2019 तक
04	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाईन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	20 नवम्वर, 2019 से 30 नवम्वर, 2019 तक
05	आनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, बिलम्बतम 30 नवम्वर, 2019 तक

(अ) छात्र/छात्रा क्या करें :-

1. छात्रों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी समस्त अभिलेख जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), बैंग पासबुक शिक्षण संस्थान में जमा की गई शुल्क की रसीद, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय का नामांकन संख्या (**Enrollment No.**) आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज फोटो आदि अभिलेख अपने एकत्रित कर लें।

2. सभी छात्र/छात्राएं अपना आवेदन पत्र स्वंय भरें। ऑनलाइन पत्र आवेदन के लिए पासवर्ड स्वंय सृजित करें। छात्र/छात्राएं यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे है तो अपने सामने ही सभी प्रवृष्टियों को आवेदन पत्र में भरवाएं एवं जाच का प्रिन्ट लेकर स्वंय समस्त प्रवृष्टियों की जॉच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र का ऑनलाइन सबमिट करें, तदोपरान्त कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने हेतु प्रिन्ट अवश्य प्राप्त करें।

3. आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगे, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण पत्र क्रमांक तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के रोल नम्बर, आधार नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें।

4. अनिवार्य वार्षिक नान-रिफण्डेबल फीस के कालम में विभाग द्वारा प्राप्त नोटिस के अनुसार वास्तविक फीस की धनराशि अंकित करें या नीचे दर्शाये गए ज्ंड्सम के अनुसार अंकित करे !

5. आधार नम्बर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बैंक खाते से सीडेड हो, भरना अनिवार्य है। आधार नम्बर देने तथा उसकी सीडिंग बैंक खाते में कराने से **KYC (Know Your Customer)** पूर्ण हो जाती है, अपनी बैंक खाते में **KYC** फार्म भरकर अवश्य जमा कर दें। अपना बचत खाता संचालित रखें एवं उसमें निर्धारित न्यूनतम बैलेन्स बनायें रखें।

6. बचत बैंक खाता संख्या **CBS** एवं **IFSC Code** को भलिभाँति जॉच ले, बचत बैंक खाता संख्या एवं **IFSC Code** भरने में जीरो (0) और ओ (O) अक्षर को विशेष ध्यान से भरें, और यह भी ध्यान दे कि खाता संख्या 11 अंको से कम न हो।

7. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को नया अनलाइन आवेदन करना है। द्वितीय/तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्र/छात्राएं पूर्व वर्ष में किये गये आनलाइन आवेदन का नवीनीकरण कराना होगा, अन्यथा कि स्थिति में आवेदन पत्र कार्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

8. छात्र/छात्राएं पूर्व की कक्षाओं में छात्रवृत्ति न मिलने की दशा में भी आवेदन पत्र का वर्तमान सत्र में भी नवीनीकरण **(Renewal)** ही करें। न कि नवीन **(Fresh)** आवेदन पत्र भरें।

9. छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक/पूर्णांक/अनिवार्य वार्षिक नान रिफन्डेबल फीस, मोबाइल नम्बर, वर्तमान विश्वविद्यालय का नामांकन संख्या **(Enrollment No.)** ,आधार नम्बर, बैंक खाता संख्या व **IFSC Code** आदि भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र/छात्राएं आवेदन पत्र में विगत कक्षा के प्राप्तांक को सही भरें क्योकि अंको का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।

10. पाठ्यक्रम व उसके वर्ष के अंकन सही सही ध्यानपूर्वक करें। छात्र/छात्रा विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अंकन अवश्य करें।

11. छात्र/छात्रा मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई0डी0 स्वयं का ही दें।

12. जिन छात्र/छात्राओं का बैंक खाता प्रधानमंत्री जनधन खाता में है, वे अपना खाता बदल ले क्योकि जन-धन खाते में रू0 50,000/- से अधिक धनराशि स्थानान्तरित न होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित हो जायेंगे।

13. विस्तृत जानकारी हेतु **http://scholarship.up.nic.in** पर सर्च करें एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का पालन भली-भांति करें। समय-सारिणी में दी गयी समयावधि का कदापि उल्लंघन न करें, अन्यथा आप छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पाने से वंचित हो सकते हैं।

(ब) छात्र/छात्रा क्या न करें :-

1. शिक्षण संस्थान में जमा करने के लिए आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौपें, कार्यालय में स्वंय जमा करें।
2. अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा हाईस्कुल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड किसी से भी साझा (Share) न करें।
3. आनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि का इन्तजार न करें।
4. अनुत्तीर्ण (Fail) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन न करें।
5. शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट बिना निकाने आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा।
6. छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रवृष्टिया भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि अनुमन्य नहीं होगा।

आवश्यक प्रमाण पत्र अथवा छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन किया गया आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है :-

1. हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
2. इण्टरमीडिएट अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
3. डिप्लोमा अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
4. बी0टेक0 अंकपत्र की छायाप्रति।
5. आय/ जाति/ निवास प्रमाणपत्र की मूल प्रति (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एवं कम्प्यूटराइज्ड)।
6. Bor.up.nic.in से प्रमाणित किया हुआ जाति तथा निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
7. आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो पर स्वंय के हस्ताक्षर।
8. गैप का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
9. हास्टल होने पर वार्डेन से प्रमाणित आवेदन पत्र।
10. संस्था के समीपस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाते की पासवुक की छायाप्रति IFSC Code कोड सहित।
11. छात्रा/छात्रा के माता-पिता अथवा अभिभावक का स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र।
12. विद्यालय द्वारा प्रदान पहचान पत्र की छायाप्रति।
13. शुल्क की रसीद/चालान की छायाप्रति।
14. आधार कार्ड की छायाप्रति।
15. नवीनीकरण करने वाले छात्र/छात्रा पिछली कक्षा की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्ति की रसीद।
16. ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि का इन्तजार न करें, क्योकि अंतिम तिथि के पश्चात् वेवसाइट लाक कर दी जायेगी।
17. यदि छात्र-छात्रा हास्टल में आवासित है तो हास्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क रसीद की प्रति अथवा प्रमाण-पत्र की प्रति।
18. एकेडमिक रजिस्ट्रेशन स्लिप।

प्रमात्रपत्रों के साथ विभिन्न परिशिष्टों यथा 'ख' (रू0 100/- का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर) 'ग', 'च' बनाकर स्पष्ट अक्षरों में भरकर प्रत्येक दशा में अंतिम रूप से दिनांक 10th October, 2019 या उससे पहले तक कार्यालय में अवश्य प्राप्त करा दें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की स्वंय की होगी।

Details of Non- Refundable Fee :

1. For all Students (Except Fee Waiver)

Course Name	Fee 1st Year & New Lateral Entry (B.sc/Diploma)	Fee 2nd Year	Fee 3rd Year	Fee 4th Year
B.Tech(Civil,IT,ME)	56,400	56,300	56,300	55,300

2. For Fee Waiver Students

Course Name	Fee 1st Year & New Lateral Entry (B.sc/Diploma)	Fee 2nd Year	Fee 3rd Year	Fee 4th Year
B.Tech(Civil,IT,ME)	16,400	16,300	16,300	15,300

11/7/19

नोडल अधिकारी
(छात्रवृत्ति)

संलग्नक : उपरोक्त।

पत्रांक : रा0इन्जी0का0आजमगढ़/छात्रवृत्ति/ 07 /2019 दिनांक 11/07/2019

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक महोदय को सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण
3. प्रभारी बेवसाइट को इस आशय से प्रेषित कि संस्थान बेवसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

11/7/19

नोडल अधिकारी
(छात्रवृत्ति)

शपथ पत्र

दिनांक :

सेवा में,

निदेशक,

राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज, देवगाँव,

आजमगढ़।

1. मै शपथकर्ता .... पुत्र/पुत्री श्री .... पता ...., ... का मूल निवासी हूँ।
2. मै शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि .... पुत्र/पुत्री श्री .... सरकारी/अर्द्धसरकारी/उद्योग/व्यवसाय/कृषि कार्य करता हूँ/करती हूँ। (सेवारत संस्थान का पूर्ण पता).. ....
3. मै शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी स्रोतों से मासिक आय (शब्दों एवं अंकों में) रू0 . ... एवं वार्षिक आय (शब्दों एवं अंकों में) रू0 .... है।
4. मै शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि संलग्न आय प्रमाण पत्र संख्या ....जिला . ... के तहसील .... द्वारा निर्गत है, जो कि सही है।
5. मै शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री .... संस्थान ... . राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज, देवगाँव, आजमगढ़ में सत्र 2019-20 की कक्षा .... का अध्ययनरत् छात्र है।
6. मै शपथकर्ता .... पुत्र/पुत्री श्री .... घोषण करता/करती हूँ कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन पत्र में कोई त्रुटि नहीं हैं, यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

शपथकर्ता घोषणा करता है कि क्रम संख्या 01 से 06 तक में किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है, यदि महाविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की भुगतान की गई धनराशि 18 प्रतिशत व्याज के साथ ही महाविद्यालय को वापस करने का वचन देता हूँ। साथ ही महाविद्यालय गलत तथ्यों के आरोप में नियमानुसार दण्ड देने के लिए स्वतन्त्र होगा।

शपथकर्ता छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर	विद्यार्थी के माता/पिता/विधिक अभिभावक का विवरण
हस्ताक्षर	शपथकर्ता
नाम	हस्ताक्षर ....
पता	पता ....

नोट :- उपरोक्त शपथपत्र रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर छात्र/छात्रा के पिता/माता अथवा दोनों के जीवित न होने की दशा में माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त वैधानिक अभिभावक द्वारा दिया जायेगा, यदि कोई छात्र/छात्रा उक्त शपथ पत्र नहीं देता है तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकार न किया जायेगा।

परिशिष्ट – "ख"

छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र
(निर्धारित दर पर नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)
(अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु।)

वह अनुबंध पत्र आज दिनाँक .... को (1) कु0/श्रीमती/श्री .... आयु .... वर्ष .... पुत्री/पत्नी पुत्र श्री .... जाति ... . निवासी ग्राम/मु0 .... डाकखाना .... तहसील .... जिला .... जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

(2) .... (संस्थाध्यक्ष) पता .... जनपद .... (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है। उसके मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि दशमोत्तर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति नियमवली 2012 में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते है :-

1— द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2012 के अनुपालन में देगा ।

2— प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाने पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा ।

3— द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा ।

4— प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा ।

5— प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।

6— प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।

7— उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा ।

प्रथम पक्ष :

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पिता/पति का नाम ....

पता ....

द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर ....

नाम .... व पदनाम ....

पिता/पति का नाम ....

पता ....

प्रथम पक्ष के दो गवाह :—

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पिता/पति का नाम ....

पता ....

द्वितीय पक्ष के दो गवाह :—

हस्ताक्षर ....

नाम .... व पदनाम ....

पिता/पति का नाम ....

पता ....

परिशिष्ट – "ख"

छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र
(निर्धारित दर पर नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)
(सामान्य वर्ग हेतु)

यह अनुबंध पत्र आज दिनाँक .... को (1) कु0/श्रीमती/श्री .... आयु .... वर्ष .... पुत्री/पत्नी पुत्र श्री .... जाति .... निवासी ग्राम/मु0 .... डाकखाना .... तहसील .... जिला .... जिसे एतत्पश्चात छात्र/छात्रा कहा गया है, जिसमें उसके उत्तराधिकारी प्रतिनिधि एवं निष्पादक सम्मिलित हैं (प्रथम पक्ष)।

(2) .... (संस्थाध्यक्ष) पता .... जनपद .... (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत हैं) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है (जिसे एतत्पश्चात संस्था कहा गया है, जिसमें उसके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि एवं निष्पादक सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया है।

चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि दशमोत्तर सामान्य वर्ग दिशा–निर्देश 2012 में उल्लिखित है। उक्त दिशा–निर्देश के आलोक में यह अनुबंध पत्र निम्नलिखित जारी है, जिसकी शर्तें निम्नवत् हैं, में छात्र/छात्रा को प्रथम पक्ष एवं संस्था को द्वितीय पक्ष अभिहित किया गया है :–

1– द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में उत्तर प्रदेश दशमोत्तर सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक दिशा–निर्देश 2012 के अनुपालन में देगा।

2– प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाते ही निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं संस्था द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी संबंधित छात्र को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।

3– द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) आवेदन पत्र का नियमानुसार परीक्षण कराकर शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से, छात्र के आवेदन पत्र के अर्ह पाये जाने पर, स्वीकृति प्रदान करायेगा। स्वीकृति उपरान्त द्वितीय पक्ष स्वीकृत आवेदन पत्र के विवरणों को समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित कराये गये एवं शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराये गये छात्रवृत्ति के साफ्टवेयर में डाटा इन्ट्री करायेगा तथा उसकी हार्ड कापी डाटा का मिलान करायेगा एवं त्रुटि संशोधन डाटा में आवश्यकतानुसार करायेगा।

4– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष का छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक डाटा संबंधित शिक्षा विभाग के माध्यम से संबंधित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करायेगा।

5– जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रथम पक्ष के बैंक खाते में अनुरक्षण भत्ता की पूरी धनराशि एवं निर्धारित शुल्क प्रतिपूर्ति की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करेगा।

6– प्रथम पक्ष के बैंक खाते में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष के शुल्क काउण्टर पर जाकर शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी जमा धनराशि जमा करके प्रथम पक्ष से रसीद प्राप्त करेगा।

7– प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।

8— प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।

9— द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के सेमेस्टर अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा में प्रतिभाग करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराकर साफ्टवेयर में प्रविष्टि कराने में जिला समाज कल्याण अधिकारी का सहयोग करेगा।

10— जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार प्रथम पक्ष के खाते में पुनः उसी वित्तीय वर्ष में जमा करेगा।

11— प्रथम पक्ष के खाते में अवशेष शुल्क प्रतिपूर्ति की द्वितीय किश्त जमा हो जाने के बाद 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष के संस्था के काउन्टर पर जाकर जमा करेगा एवं प्राप्ति रसीद लेगा।

12— छात्रवृत्ति संबंधी शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा यदि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्रों अस्वीकृत किया जाता है तो द्वितीय पक्ष इस संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेगा, जिसमें उन कारणों का उल्लेख होगा जिनके कारण आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जायेगा।

13— उत्तर प्रदेश दशमोत्तर सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक दिशा—निर्देश 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क अपने स्वयं के साधनों से एक माह में जमा करेगा।

प्रथम पक्ष :	हस्ताक्षर ______________	द्वितीय पक्ष	हस्ताक्षर ______________
	नाम ______________		नाम ______________ व पदनाम ______________
	पिता / पति का नाम ______________		पिता / पति का नाम ______________
	पता ______________		पता ______________

प्रथम पक्ष के दो गवाह :—	द्वितीय पक्ष के दो गवाह :—
हस्ताक्षर ______________	हस्ताक्षर ______________
नाम ______________	नाम ______________ व पदनाम ______________
पिता / पति का नाम ______________	पिता / पति का नाम ______________
पता ______________	पता ______________

परिशिष्ट – "ख"

<u>छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र</u>

(निर्धारित दर पर नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

(अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प–संख्यक वर्ग हेतु!)

यह अनुबंध पत्र आज दिनाँक .... को (1) कु0/श्रीमती/श्री .... आयु .... वर्ष ...... पुत्री/पत्नी पुत्र श्री .... जाति .... निवासी ग्राम/नु0 .... डाकखाना .... तहसील .... जिला .... जिसे एतत्पश्चात छात्र/छात्रा कहा गया है, जिसमें उसके उत्तराधिकारी प्रतिनिधि एवं निष्पादक सम्मिलित हैं (प्रथम पक्ष)।

(2) .... (संस्थाध्यक्ष) पता .... जनपद .... (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है (जिसे एतत्पश्चात संस्था कहा गया है, जिसमें उसके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि एवं निष्पादक सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया है।

चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि दशमोत्तर अन्य पिछड़ा वर्ग दिशा–निर्देश 2012 में उल्लिखित है। उक्त दिशा–निर्देश के आलोक में यह अनुबंध पत्र निम्नलिखित साक्षी है, जिसकी शर्तें निम्नवत् हैं, में छात्र/छात्रा को प्रथम पक्ष एवं संस्था को द्वितीय पक्ष अभिहित किया गया है :–

1– द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक दिशा–निर्देश 2012 के अनुपालन में देगा।

2– प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाते ही निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं संस्था द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी संबंधित छात्र को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।

3– द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) आवेदन पत्र का नियमानुसार परीक्षण कराकर शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से, छात्र के आवेदन पत्र के अर्ह पाये जाने पर, स्वीकृति प्रदान करायेगा। स्वीकृति उपरान्त द्वितीय पक्ष स्वीकृत आवेदन पत्र के विवरणों को समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित कराये गये एवं शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराये गये छात्रवृत्ति के साफ्टवेयर में डाटा इन्ट्री करायेगा तथा उसकी हार्ड कापी डाटा का मिलान करायेगा एवं त्रुटि संशोधन डाटा में आवश्यकतानुसार करायेगा।

4– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष का छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक डाटा संबंधित शिक्षा विभाग के माध्यम से संबंधित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करायेगा।

5– जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रथम पक्ष के बैंक खाते में अनुरक्षण भत्ता की पूरी धनराशि एवं निर्धारित शुल्क प्रतिपूर्ति की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करेगा।

6– प्रथम पक्ष के बैंक खाते में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष के शुल्क काउण्टर पर जाकर शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी जमा धनराशि जमा करके प्रथम पक्ष से रसीद प्राप्त करेगा।

7– प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।

8— प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोडकर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।

9— द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के सेमेस्टर अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा में प्रतिभाग करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराकर साफ्टवेयर में प्रविष्टि कराने में जिला समाज कल्याण अधिकारी का सहयोग करेगा।

10— जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार प्रथम पक्ष के खाते में पुनः उसी वित्तीय वर्ष में जमा करेगा।

11— प्रथम पक्ष के खाते में अवशेष शुल्क प्रतिपूर्ति की द्वितीय किश्त जमा हो जाने के बाद 15 दिन के अंदर, द्वितीय पक्ष के संस्था के काउण्टर पर जाकर जमा करेगा एवं प्राप्ति रसीद लेगा।

12— छात्रवृत्ति संबंधी शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा यदि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्रों अस्वीकृत किया जाता है तो द्वितीय पक्ष इस संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेगा, जिसमें उन कारणों का उल्लेख होगा जिनके कारण आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जायेगा।

13— उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक दिशा— निर्देश 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क अपने स्वयं के साधनों से एक माह में जमा करेगा।

प्रथम पक्ष :	हस्ताक्षर	द्वितीय पक्ष	हस्ताक्षर ....
	नाम		नाम .... व पदनाम ....
	पिता / पति का नाम		पिता / पति का नाम ....
	पता		पता ....

प्रथम पक्ष के दो गवाह :—		द्वितीय पक्ष के दो गवाह :—	
	हस्ताक्षर		हस्ताक्षर ....
	नाम		नाम .... व पदनाम ....
	पिता / पति का नाम		पिता / पति का नाम ....
	पता		पता ....

परिशिष्ट – "च"

छात्र/छात्रा द्वारा देय शपथ पत्र

समक्ष

संस्थाध्यक्ष / जिला समाज कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... जो ग्राम .... मुहल्ला .... जनपद .... का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ :–

1– यह कि मैं ग्राम .... मुहल्ला .... तहसील .... जिला .... उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)

2– यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/समान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प–संख्यक वर्ग (जो भी लागू हो) का हूँ ।
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)

3– यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है।
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र/अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है)

4– यह कि सम्प्रति मैं .... शैक्षिक संस्थान के .... पाठ्यक्रम में .... वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत् हूँ। संस्था .... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है ।

5– यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को समयान्तर्गत उपलब्ध करा दूँगा ।

6– यह कि मैंने पिछली परीक्षा .... वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है। परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।

7– यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है ।

8– यह कि मेरा बचत खाता संख्या: .... बैंक .... के .... शाखा में खुला हुआ है ।

9– यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। (केवल अनु0जाति/जनजाति के लिए लागू है।)
उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में हैं इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे ।

दिनाँक : ....

शपथी के हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता/पति का नाम ....
पता ....